न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 36 / 2023
(GCMS 2023/135)(212708982409630)

श्री जसवन्त सिंह पुत्र जयमलराम निवासी वीपीओ मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

बनाम

प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.04.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री जसवन्त सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी श्री जसवन्त सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 20.04.2023 को प्रस्तुत करके एक बिन्दु की सूचना चाही गई थी, जो प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत करके सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री जसवन्त सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 20.04.2023 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

> श्रीमान तहसीलदार [illegible] श्रीगंगानगर चक 2 एफ बडा, 2 मुरब्बा नं. पुराना 30, 31 व 32 नया 16 व 18 कुल रकबा मय रास्ता बरवाला 75 बिघा 3 बिस्वा कुल रकबा 75–11.03 86 बिघा 5 बिस्वा हजारो वल्द लूणा खाता संख्या पुराना 21

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:16:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

नया 36 जमाबन्दी सम्वत् 2008 से 11 में 91 बिघा 17 बिस्वा दर्ज है बाकी 5 बीघा 14 बिस्वा भूमी को प्रमाणित जानकारी लेने बाबत।

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी(भू.अ.), श्रीगंगानगर ने अपील का जवाब अपने पत्रांक एफ(1–ई)भू.अ./सूचना का अधिकार/2023/अपील/01/6455 दिनांक 02.08.2023 से निम्नानुससार प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर का पत्रांक (भू.अ.) श्रीगंगानगर का पत्रांक भूअ/आरटीआई/2023/2229 दिनांक 05.05.2023 के क्रम में कार्यालय हाजा के पंत्राक 4161–62 दिनांक 23.05.2023 के द्वारा प्रार्थी को उपलब्ध रिकार्ड की जानकारी देते हुए वांछित सूचना/प्रमाणित प्रतिलिपि नियमानुसार शुल्क भुगतान कर कार्यालय के रिकार्ड रूम से प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया। रिकार्ड लिपिक के अनुसार आवेदक ने सूचना प्राप्त करने हेतु कार्यालय में आदिनांक सम्पर्क नही किया है। रिकार्ड रूम कार्यालय हाजा में चक 11 एफ बडा की जमाबन्दी उपलब्ध है। सुलभ सन्दर्भ हेतु कार्यालय हाजा की पत्रावली संलग्न कर सादर प्रेषित है।

Sd/-
लोक सूचना अधिकारी एवं
प्रभारी अधिकारी(भू.अ.), श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:16:27 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू.अ.), श्रीगंगानगर ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है और दिनांक 23.05.2023

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

को प्रार्थी को भी सूचित किया जा चुका है, जो सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए प्रभारी अधिकारी(भू.अ.), श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी यदि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार राजकोष में राशि जमा कर सूचना प्राप्त कर सकते है।

अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू.अ.), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:16:27 IST
Reason: SelfAttested